

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक: एफ.4(ई)एस-3410/2013/अलेसे-III/714

दिनांक :- 12.7.2022

कार्यालय आदेश

श्री रामराज मीणा, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं. 12740) कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, बून्दी को दिनांक 24.07.2020 से 31.05.2022 तक अपने कार्य के साथ-साथ कार्यालय जिला परिषद् बून्दी में कनिष्ठ लेखाकार पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 24.07.2020 से 31.05.2022 तक का राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 2% दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 माह) एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.4(ई)एस-3410/2013/अलेसे-III/714

दिनांक :- 12.7.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, बून्दी।
2. जिला परिषद् बून्दी।
3. श्री रामराज मीणा, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं. 12740) कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, बून्दी।
4. निजी सचिव, निदेशक, कार्यालय हाजा।
5. उपनिदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
6. रक्षित / निजिपत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्तनिदेशक (कार्मिक-III)